न्यायालय अपीलीय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर(प्रथम) अलवर(राज.)

अपील संख्या 12 / 08 / 2022

कम्प्यूटर आई.डी. क्रमांकः 2022 / 12

अपीलार्थी
श्री रमेश चन्द मीना पुत्र श्री सुगनी राम मीना,
नि0 बावडी के पास, लक्ष्मणगढ (अलवर) राज.–321607

बनाम

प्रत्यर्थी
राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं
उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ (अलवर)

प्रवेश तिथि :: 14.02.2022

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांकः 10.03.2022

1. उभयपक्ष अनुपस्थित, प्रत्यर्थी पक्ष की ओर से जवाब नोटिस प्राप्तं हुआ जिसे अभिलेख पर लिया गया।
2. हमने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का विशुद्ध परिशीलन किया।
3. अपीलार्थी ने अपने सूचना आवेदन दिनांकः 07.01.2022 के माध्यम से प्रत्यर्थी को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर श्री गिर्राज प्रसाद पुत्र हरिप्रसाद, हरिप्रसाद लखेरा पुत्र धन्नालाल, नीरज कोठारी पुत्र वीरेन्द्र कोठारी के राशनकार्ड के खाद्य सुरक्षा अपील आवेदन–पत्र की प्रमाणित फोटोप्रति व इसी प्रकार अन्यादि कुल 5 बिन्दुओं पर सूचना चाही गई थी।
4. सूचना नहीं मिलने के आक्षेप पर अपीलार्थी द्वारा इस न्यायालय स्तर पर प्रथम अपील संस्थित कराई गई है।
5. उक्त प्रथम अपील के अनुक्रम में प्रत्यर्थी को नोटिस जारी कर जवाब चाहा गया।
6. प्रत्यर्थी की ओर से पत्र सं. आरटीआई / 2022 / 745 दिनांकः 07.03.2022 के माध्यम से अपील का बिन्दुवार जवाब प्रस्तुत कर जवाब की प्रति अपीलार्थी को भी पृष्ठांकित की गई है।
7. प्राप्त जवाब मय संलग्नक दस्तावेजात् का परीक्षण किया गया। प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी के अपीलार्थी के सूचना आवेदन दिनांकः 07.01.2022 के परिप्रेक्ष्य में पत्र सं. RTI/2022/704 दिनांकः 18.02.2022 के माध्यम से एवं इस न्यायालय को प्रथम अपील प्रस्तुत करने उपरान्त पुनः पत्र सं. RTI/2022/742 दिनांकः 04.03.2022 के माध्यम से आवेदन विशिष्टीविहीन होने के कारण सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1)बी के तहत **विधिक विनिश्चय कर आवेदन अस्वीकार कर** अपीलार्थी को सूचित किया जा चुका है।
8. उक्त आलोक में प्रत्यर्थी द्वारा किया गया विनिश्चय उचित एवं पर्याप्त है। अपील निर्बल है।
9. अतः **अपील अस्वीकार की जाकर खारिज** की जाती है तथापि प्रत्यर्थी को निर्देशित किया जाता है कि वो भविष्य में इस अधिनियम अंतर्गत प्राप्त आवेदनों पर निर्धारित समयावधि में ही विनिश्चय कर आवेदकों को सूचित करें।
10. आदेश की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।
11. आज दिनांकः 10.03.2022 को निर्णय लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया तथा हस्ताक्षरित एवं मुद्रांकित किया गया।

(डॉ. सुनीता पंकज)
अपीलीय अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम), अलवर

प्रमाणित फोटो प्रति

रीडर
अतिरिक्त जिला कलक्टर
(प्रथम) अलवर (राज.)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राज0)

अपील प्रकरण संख्या : 12/03/2022
कम्प्यूटर आई.डी.क्रमांक : 2022/06
प्रवेश तिथि : 25.01.2022

अपीलार्थी — बनाम — **प्रत्यर्थी**

श्री नेह रमण वशिष्ठ,
नि. पुराने पंजाब नेशनल बैंक के पास, रामगढ
ग्राम व पोस्ट—रामगढ (अलवर)—301026

राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं
उमखण्ड अधिकारी रामगढ (अलवर)

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांकः 10.03.2022

1. उभय पक्ष अनुपस्थित।
2. मैंने पत्रावली का परिशीलन किया।
3. अपीलार्थी ने उक्त अधिनियम अंतर्गत आवेदन—पत्र दिनांकः 01.12.2021 के माध्यम से प्रत्यर्थी कार्यालय से गत वर्षों में सिवायचक, चारागाह भूमि के प्रकरणों में एस.डी.एम. न्यायालय द्वारा कितनी भूमि पर खातेदारी दी गई, की सूची उपलब्ध कराने बाबत बिन्दुवार सूचना चाही गई थी।
4. आवेदक को उक्त आवेदन में वांछित सूचनायें नहीं मिलने के कारण प्रार्थना—पत्र दिनांकः 17.01.2022 के माध्यम से अपीलार्थी द्वारा इस कार्यालय में प्रथम अपील प्रस्तुत की गई।
5. प्रथम अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी पक्ष को नोटिस क्रमांकः कोर्ट/ए.डी.एम.प्रथम/आर.टी.आई. अपील/2022/24 दिनांकः 25.01.2022 के माध्यम से तलब कर जवाब नोटिस के साथ उपस्थित होने हेतु आदेशित किया गया। जवाब प्राप्त नहीं होने पर स्मरण—पत्र सं. 88 दिनांकः 08.03.2022 के माध्यम से जवाब भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया किन्तु फिर भी किसी प्रकार का जवाब अप्राप्त रहा।
6. प्रत्यर्थी पक्ष की ओर से उक्तांकित अपील प्रकरण में निर्णय दिनांक तक ना ही किसी प्रकार का जवाब नोटिस/प्रत्युत्तर प्राप्त हुआ और ना ही अपील प्रकरण में सुनवाई हेतु कोई उपस्थित हुआ। अपीलार्थी भी उपस्थित नहीं आया।
7. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी के प्रथम आवेदन दिनांकः 01.12.2021 पर अधिनियम की धारा 7(1) में विनिर्दिष्ट समयावधि में या उसके बाद एवं प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा प्रथम अपील दायर करने के बावजूद भी सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है। इस प्रकार प्रत्यर्थी पक्ष अपीलार्थी द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध कराने हेतु सजग व गम्भीर नहीं है। प्रत्यर्थी द्वारा प्रकरण में आदिनांक तक कोई जवाब/प्रत्युत्तर/प्रतिक्रिया भी व्यक्त नहीं की गई है और ना ही अधिनियम की धारा 7(8) व 8(1) क से 8(1) ञ में उपलब्ध किन्हीं उपाबन्धों के तहत आवेदन अस्वीकृति/खारिज करने संबंधी जानकारी आवेदक को उपलब्ध कराई गई अर्थात् सूचना उपलब्ध नहीं कराने का कोई युक्तियुक्त कारण आवेदक को उपलब्ध नहीं कराया गया है एवं प्रथम अपील में बार—बार जारी नोटिसों के बावजूद भी अपीलार्थी को सूचना प्रेषित नहीं की है जो अधिनियम की भावना, **प्रावधान एवं उद्देश्यों के प्रतिकूल है एवं उक्त अधिनियम की ठोस अनुपालना के प्रति प्रत्यर्थी विभाग की उदासीनता का परिचायक है।**
8. अस्तु **अपील अपीलार्थी स्वीकार** की जाती है। प्रत्यर्थी पक्ष को निर्देशित किया जाता है कि उक्त निर्णय की प्रति प्राप्ति के अधिकतम 07 दिवस में अपीलार्थी के प्रथम आवेदन—पत्र दिनांकः 01.12.2021 में वांछित सूचना, कार्यालय अभिलेख पर संधारण अनुसार नियमानुसार अधिप्रमाणित कर निःशुल्क ही अपीलार्थी को जरिये पंजीकृत—पत्र भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।

प्रमाणित फोटो प्रति
रीडर
अतिरिक्त जिला कलक्टर

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)

(2)

9. यहाँ यह भी वर्णन करना उचित होगा कि भविष्य में राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी परिपत्र/दिशानिर्देशों के अनुसरण में अधिनियम के प्रावधानानुसार निर्धारित समयावधि में आवेदकों को सहज भाव से सूचना की अदायगी में अविलम्ब सूचना प्रेषित की जावे एवं इस प्रकार की पुनरावृति ना हो, सुनिश्चित करें।

10. आदेश की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।

11. निर्णय घोषित ।

अपीलीय अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)

ADDITIONAL COLLECTOR (I) ALWAR (RAJ.)

प्रमाणित फोटो प्रति

रीडर
अतिरिक्त जिला कलक्टर
(प्रथम) अलवर (राज०)

9. यहाँ यह भी वर्णन करना उचित होगा कि भविष्य में राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी परिपत्र/दिशानिर्देशों के अनुसरण में अधिनियम के प्रावधानानुसार निर्धारित समयावधि में आवेदकों को स्वयं भार से सूचना की अदायगी में अविलम्ब सूचना प्रेषित की जावे एवं इस प्रकार की पुनरावृति ना हो, सुनिश्चित करें।

10. आदेश की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।

11. निर्णय घोषित ।

अपीलीय अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)

ADDITIONAL COLLECTOR (I)

प्रमाणित फोटो प्रति

अतिरिक्त जिला कलक्टर
(प्रथम) अलवर (राज0)

9. यहाँ यह भी वर्णन करना उचित होगा कि भविष्य में राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी परिपत्र/दिशानिर्देशों के अनुसरण में अधिनियम के प्रावधानानुसार निर्धारित समयावधि में आवेदकों को सहज भाव से सूचना की अदायगी में अविलम्ब सूचना प्रेषित की जावे एवं इस प्रकार की पुनरावृति ना हो, सुनिश्चित करें।

10. आदेश की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।

11. निर्णय घोषित ।

अपीलीय अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलेक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)

ADDITIONAL COLLECTOR (I) ALWAR (RAJ.)

प्रमाणित फोटो प्रति

रीडर
अतिरिक्त जिला कलक्टर
(प्रथम) अलवर (राज०)